

प्रकाशन एवं अभियान
आदि के हस्तान्तर

(146)

253

न्यायालय ग्रोमारु सदस्य राजस्व मण्डल नवालपर नाइट फैरिंग रोया जाता



रोबर्ट ब्रून

श्रीमती रविता शर्मा पत्नी ग्रो स. के. शर्मा 34 35 ताल निवासी
तिविल गढ़वाल रोया, तह हुजूर जिला रीवाम्. प्र. द्वारा मुद्रित अस्ति -
श्रीमुखेन्द्र जिंद तन्य श्री बगदव जिंद उम्म 50 ताल निवासी गैद्धनी,
ताल हुजूर, जिला रीवाम्. प्र.

— पुनरोक्षण करा / अदेह

व न म

श्रीमती जरीना बाबून पत्नी अब्दुल खान निवासी रोया,
ताल हुजूर जिला रोया. प्र. ————— गैरुनरोक्षण करा / अदेह

निवासी अदेह
दारा जाव दिनांक 10/12/2012
प्रलुब्ध छिप देह
संस्कृत देह

पुनरोक्षण देह अदेह न्याय लय ग्रोमारु
तालदार महांक्ष, तह हुजूर जिला रीवाम्. प्र.
द्वारा पाठत अदेह दिनांक- 10 12 2012
प्रकरण क्र. 20312/ 2012-2013. दुलगन क्र. क्र.
19/12/ 2012-2013.

पुनरोक्षण अन्तर्गत धारा 50 र. प्र. भू-राजस्व
तोहता. तह 1959. तिवी.

मा न्याय,

पुनरोक्षण के आधार अन्मन लिखत है :-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अदेह देह के बिना उन्माद का
अवसर प्रदान किये हुये, एक पक्षीय त्वय से तीव्रतम् पुष्टि करने का अदेह देह
10 12 2012 पाठित किया है उक्त अदेह देह अदेह देह व प्रक्रिया के
विपरीत होने से आत्मे व्य अदेह देह दिनांक- 10 12 2012 अपास्त किये जाने
वाले है।

— 1008 —

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग० / 1261 - III / 2014

जिला-रीवा

श्रीमती रविता शर्मा/ श्रीमती जरीना खातून

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

23.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चितेनद्र पाठक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 20/अ-12/2012-13 संलग्न प्रकरण क्रमांक 19/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 05.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।

म

(बी.एम.शर्मा),
सदस्य

